न्यायालय : सरिता जतारिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला बुरहानपुर (म.प्र.)

क्रमांक–/ 312 /2025 बुरहानपुर, दिनांक : 31.10.2025

:: आदेश ::

माह नवम्बर–2025 के सार्वजनिक अवकाश के दिनों में 03:00 बजे से 05:00 बजे तक रिमाण्ड कार्य निष्पादित करने हेतु निम्नानुसार व्यवस्था की जाती है। निम्न कॉलम में दर्शाये गये न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा नियत दिनांक पर अपने स्टाफ सहित दोपहर 03:00 बजे से 05:00 बजे तक स्वयं के न्यायालय में उपस्थित होकर जिला मुख्यालय बुरहानपुर (म.प्र.) के सभी न्यायालय तथा तहसील नेपानगर जिला बुरहानपुर के न्यायालय में लिंक कोर्ट होने से उक्त न्यायालय के रिमाण्ड संबंधी सभी आवश्यक कार्य निष्पादित किये जावेंगे।

माह– नवम्बर–2025		
क.	**पीठासीन अधिकारी का नाम एवं पद**	**अवकाश की तिथियां**
1.	श्रीमती शीतल बघेल, न्या.म.प्र.श्रे. बुरहानपुर	23.11.2025 व 30.11.2025
2.	श्री राजू पंद्रे, न्या.म.प्र.श्रे. बुरहानपुर	15.11.2025 व 16.11.2025
3.	श्री भारत सिंह भॅवर न्या.म.प्र.श्रे. बुरहानपुर	01.11.2025 व 02.11.2025
4.	श्री रवि वर्मा, न्या.म.प्र.श्रे. बुरहानपुर	05.11.2025 व 09.11.2025

1. उपरोक्तानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट, उपरोक्त दर्शित तिथियों में सायं. 3 बजे से 5 बजे तक रिमाण्ड एवं आपराधिक प्रकरणों से संबंधित अत्यावश्यक कार्य अपने न्यायालय में संपादित करेंगे।
2. उपरोक्त माह नवम्बर–2025 में कोई अन्य शासकीय अवकाश घोषित होने पर निम्नांकित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी निष्पादित की जावेगी :–

   माह नवम्बर–2025 में :–

   1– श्री भारत सिंह भॅवर न्या.म.प्र.श्रे. बुरहानपुर

   2– श्री रवि वर्मा न्या.मजि.प्रथम श्रेणी, बुरहानपुर (म.प्र.) द्वारा की जावेगी।
3. उक्त रिमाण्ड ड्यूटी अनुसार संबंधित न्यायालय में पदस्थ कर्मचारीगण अपने–अपने कर्तव्य पर उपस्थित रहेंगे।
4. रिमाण्ड डयूटी में परिवर्तन अपरिहार्य परिस्थितियों में ही पूर्व सूचना दिये जाने पर अनुज्ञात किया जा सकेगा ।
5. उपरोक्त रिमाण्ड ड्यूटी अनुसार संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी अपरिहार्य कारण से मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति चाहते हैं तो, ऐसे मजिस्ट्रेट उनके स्थान पर रिमाण्ड ड्यूटी करने के लिये सहमत होने वाले मजिस्ट्रेट की सहमति, मय हस्ताक्षर के, रिमाण्ड ड्यूटी से पूर्व आवेदन प्रस्तुत करें एवं इस न्यायालय

31/10/2025

को अवगत करावेंगे।

6. यदि कोई सार्वजनिक अवकाश निरस्त होकर उसके आगामी कार्यदिवस या पूर्व के कार्य दिवस में परिवर्तित होता हैं तो <u>संबंधित अवकाश</u> को नियत की गयी रिमांड करने वाले मजिस्ट्रेट के द्वारा ही रिमाण्ड ड्यूटी उस अनुसार की जावेगी।

7. यदि किसी कारणवश सूची में दर्शित तिथि के अलावा अन्य सार्वजनिक अवकाश घोषित हो जाता है तो निम्नानुसार अनुसूची में वर्णित कॉलम नं. 02 में उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमाण्ड निष्पादित करेंगे एवं कॉलम नं.02 के न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर होने पर कॉलम नं. 03 में उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा कॉलम नं. 03 के न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर होने से कॉलम नं. 04 में उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा रिमाण्ड कार्य संपादित किया जावेगा।

8. **यदि मुख्यालय पर किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट का अपरिहार्य कारण से एवं संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट की सहमति के बगैर अवकाश या अन्य युक्तियुक्त कारण से मुख्यालय में उपस्थित नहीं है तो उनके स्थान पर कार्य विभाजक पत्रक अनुसार प्रभारी मजिस्ट्रेट द्वारा रिमांड ड्यूटी संपादित की जायेगी।**

//अनुसूची//

जिला न्यायालय बुरहानपुर।

अवकाश	**प्रथम प्रभारी**	**द्वितीय प्रभारी**
01	02	03
<u>माह नवम्बर–2025 में घोषित अवकाश।</u>	श्री भारत सिंह भँवर, न्या.म.प्र.श्रे. बुरहानपुर म.प्र.	श्री रवि वर्मा, न्या.म.प्र.श्रे. बुरहानपुर म.प्र.

9. उक्त सूची में दर्शित न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण या पदोन्नति हो जाने के फलस्वरूप उनके स्थान पर पदभार ग्रहण करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट उस दिनांक को रिमाण्ड कार्य निष्पादित करेंगे एवं यदि किसी कारणवश दर्शित न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय रिक्त हो जाता है या स्थानांतरित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पदभार ग्रहण नही किया जाता है तो उस दिनांक को रिमाण्ड कार्य उपरोक्त वर्णित अनुसूची के अनुसार प्रथम घोषित सार्वजनिक अवकाश में उल्लेखित क्रमशः प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा एवं उनके भी अवकाश पर होने से द्वितीय घोषित सार्वजनिक अवकाश में उल्लेखित क्रमशः प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित किया जावेगा।

10. रिमाण्ड न्यायालय अपने न्यायालय की रिमाण्ड ड्यूटी दिनांक की सूचना अपने न्यायालय के रिमाण्ड पेनल सूची के अधिवक्ताओं को प्रदान करें।

(सरिता जतारिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला बुरहानपुर (म.प्र.)

पृष्ठां.क्र.–(313)/2025 बुरहानपुर, दिनांक : 31.10.2025

प्रतिलिपि :–

1. प्रस्तुतकार, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, जिला बुरहानपुर (म0प्र0)

2. श्रीमती शीतल बघेल/श्री राजू पन्द्रे/श्री भारत सिंह भँवर/श्री रवि वर्मा न्या.म.प्र.श्रे. बुरहानपुर (म0प्र0) की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

4. पुलिस अधीक्षक, जिला बुरहानपुर (म0प्र0) की ओर भेजकर लेख है कि, संबंधित थाना प्रभारियों को कृपया सूचित कराने का कष्ट करें।

5. **जिला अभियोजन अधिकारी, जिला बुरहानपुर (म0प्र0) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि, सत्र प्रकरणों में रिमाण्ड तथा जमानत आवेदन प्रस्तुत होने पर आवश्यक कार्यवाही हेतु उपरोक्त रिमाण्ड दिनांकों पर सहायक अभियोजन अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाकर, इस न्यायालय को अवगत कराया जावे।**

6. अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ, जिला न्यायालय बुरहानपुर (म0प्र0)

7. प्रभारी अधिकारी महोदय, कम्प्यूटर अनुभाग, जिला न्यायालय बुरहानपुर (म0प्र0)

8. प्रस्तुतकार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला बुरहानपुर (म0प्र0)

9. कार्यालय अनुभाग, जिला न्यायालय बुरहानपुर (म0प्र0) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

10. सिस्टम आफीसर/सहायक सिस्टम आफिसर/सहायक ग्रेड–3, कम्प्यूटर अनुभाग, जिला न्यायालय बुरहानपुर (म0प्र0) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

11. जिला नाजीर, जिला न्यायालय बुरहानपुर (म0प्र0) की ओर नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु प्रेषित।

12. **सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बुरहानपुर की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि, रिमाण्ड ड्यूटी दिनांक पर चीफ डिफेंस काउंसिल तथा डिप्टी चीफ डिफेंस काउंसिल की निर्धन आरोपीगण के रिमाण्ड पर आपत्ति तथा जमानत संबंधी आवेदनों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु ड्यूटी लगाई जाकर, इस न्यायालय को अवगत कराया जावे।**

(सरिता जतारिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जिला बुरहानपुर (म0प्र0)

नोटः– **म.प्र.शासन की ई–मेल योजना–2014 एवं माननीय उच्च न्याालय म.प्र. के ज्ञापन कं.Reg [SA]/2014/979, दिनांक–20.04.2017 के अनुसार ई–मेल द्वारा प्राप्त पत्राचार का मान्य किया गया गया है।**

(सरिता जतारिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जिला बुरहानपुर (म0प्र0)